कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-25.11.2024

विषय:- थाना सारनाथ क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों/घरों में चोरी करने वाला शातिर चोर सेनारुल सेख गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के कुछ बर्तन व मिक्सर मशीन एवं चोरी के आभूषण के विक्रय तथा नगदी में से शेष बचे कुल 5500/- रु0 नगद बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के धोखाधड़ी/चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में 1- मु0अ0सं0 0514/2024 धारा 331(4),305,324(4) बी0एन0एस0 व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0, 2- मु0अ0सं0 0515/2024 धारा 331(4),305 बी0एन0एस0 व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 एवं 3- मु0अ0सं0 0532/2024 धारा 331,305 बी0एन0एस0 थाना सारनाथ वाराणसी व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त सेनारुल सेख पुत्र अताबुद्दीन सेख निवासी भागैल दक्षिण पश्चिम पाडा गंगपुर थाना मोराडो वीर भूम पश्चिम बंगाल को दिनांक-24.11.2024 को समय करीब 18.40 बजे थाना परिसर थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी के कुछ बर्तन व मिक्सर मशीन एवं चोरी के आभूषण के विक्रय तथा नगदी में से शेष बचा कुल 5500/- रु0 नगद बरामद हुआ । उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सेनारुल सेख ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने दिनांक-24/11/2024 को अशोक तिराहे पर स्थित मिठाई की दुकान का ताला तोडकर अन्दर से एक लोहे की कड़ाही, कल्छुल, तीन स्ट्रील ट्रे, 01 मिक्सर मशीन व 500/- रु0 नगद जो कैश बाक्स में रखा था उसको चुराकर जा रहा था कि इतने में दुकान का मालिक अपने कुछ साथियों के साथ आकर मुझे तथा मेरे द्वारा चुराये गये सामानों के साथ पकड़ कर मुझे थाने ले आये । कड़ाई से पुछताछ करने पर सेनारुल सेख ने बताया कि इसके अलावा दिनांक-07/11/2024 को मैंने पैगम्बरपुर में स्थित मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर अन्दर आलमारी से 10000/- रु0 नगद व कुछ कागजात चुरा लिया था और दुकान में लगे CCTV कैमरे को भी तोड़ दिया था, कागज को फिर मैंने वही बाहर फेंक दिया था और चुराये गये पैसो को मैंने खाने-पीने में खर्च कर दिया उसमे का मात्र 3000/- रु0 ही बचा था जिसे मैं आपको दे रहा हूँ तथा मैंने दिनांक-07/11/2024 की रात में पैगम्बरपुर में ही स्थित एक बंद मकान का ताला, तोड़कर कमरे में रखी अलमारी से सोने का एक चैन, 2 अंगूठी सोने की व चाँदी के दो जोड़ी पायल एवं 16 हजार रुपये नगद को

चुराया था जिसे मैंने अपने खर्चे के लिए दूसरे दिन एक अनजान राहगीर को 35000/-रु0 में बेच दिया था और उन रुपयों एवं चुराये गये 16000/- रु0 को मैंने खाने पीने में उड़ा दिया उसमे से मेरे पास मात्र 2000/- रु0 ही बचा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सेनारुल सेख पुत्र अताबुद्दीन सेख निवासी भागैल दक्षिण पश्चिम पाडा गंगपुर थाना मोराडो वीर भूम पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- थाना परिसर थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से, दिनांक-24.11.2024 को समय करीब 18.40 बजे।

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद कडाही लोहे की, 01 अदद स्टील करछुल, 03 अदद स्ट्रील ट्रे, 01 अदद मिक्सर मशीन व 500/- रु0 नगद (संबंधित मु0अ0सं0 0532/2024 धारा 331,305,317(2) बी0एन0एस0)।

2- 3000/- रुपये नगद (संबंधित मु0अ0सं0 0514/2024 धारा 331(4),305,324(4),317(2) बी0एन0एस0)।

3- 2000/- रुपये नगद (संबंधित मु0अ0सं0 0515/2024 धारा 331(4),305,317(2) बी0एन0एस0)।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0532/2024 धारा 331,305,317(2) बी0एन0एस0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

2- मु0अ0सं0 0514/2024 धारा 331(4),305,324(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

3- मु0अ0सं0 0515/2024 धारा 331(4),305,317(2) बी0एन0एस0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 जमुना प्रसाद तिवारी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।